

(4)



उत्तर प्रदेश सरकार  
श्रम अनुभाग-2  
संख्या- 1377/36-2-99-251 (M)/95  
लखनऊ, दिनांक- 13.2.1999

अधिसूचना

भवन और अन्य निर्माण कारों के रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तों अधिनियम, 1996 के अधिनियम संख्या-27 तंत्र 1996 के अंतर्गत द्वारा पदस्थ अधिकारियों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 828 में उल्लिखित अधिकारियों को जो सरकार के राजस्व विभाग अधिकांश हैं, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पंजीयन अधिकांश नियुक्त करने हैं जो नीचे अधिसूचना संख्या 838 में यथा विहित अधिकांश में उक्त अधिनियम के द्वारा या अधिनियम अधिकांशों को पदस्थ अधिकारियों का प्रयोग करेगा।

अधिसूचना

क्रम संख्या	अधिकारी	अधिकारिता
1-	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश कानपुर.....	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
2-	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश कानपुर के कार्यालय में..... सिवाय अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त	राज्य
3-	वेतनों में सिवाय अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....	अपनी-अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के अन्तर्गत

आज्ञा से,  
  
श्री. श्री. 0 नारायण  
सचिव

(1)  
संख्या- 1377/36-2-99-251 (M)/95

प्रतिनिधि, श्रम आयुक्त उ०प्र० कानपुर को इस आज्ञा से प्रेषित की कृपया मामलों में सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से अवगत कराने एवं तदनुसंधी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

159  
28-9-99

208  
K. S. Singh  
21/11

OSC 8073  
श्री. श्री. 0 नारायण  
सचिव  
27-3-99  
28.9.99

आज्ञा से,  
  
श्री. श्री. 0 नारायण  
सचिव


(7)

5.

संख्या- 1379 236-2-99-25 18 एसओएम08/95

प्रतिलिपि श्रमासूचक 3090 कानपुर को इस आशय से प्रेषित की कृपया  
आपके में समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से अवगत कराने एवं तत्संबंधी  
आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



श्री श्याम दयाल त्रिपाठी-1

अनु सचिव।

a

संख्या- 1379 236-2-99-25 18 एसओएम08/95

प्रतिलिपि संयुक्त विदेशीय राजकीय मुद्रणालय रेशवाग प्रेस लखनऊ को इस  
आशय से प्रेषित की कृपया इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराने एवं मुद्रित  
प्रतियां प्राप्त करने की भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



श्री श्याम दयाल त्रिपाठी-1

अनु सचिव।

a